भारतीय मजदूर संघ

झारखंड प्रदेश

(ट्रेड यूनियनों का महासंघ)

विधान

(प्रदेश महासमिति द्वारा स्वीकृत)

भारतीय मजदूर संघ

झारखंड प्रदेश

(ट्रेडयूनियनों का महासंघ)

विधान

(प्रदेश महासमिति द्वारा स्वीकृत)

भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश
का
विधान

1. नाम और अधिकार क्षेत्र :

इस संगठन का नाम भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश होगा। इसका अधिकार क्षेत्र झारखंड प्रदेश के समस्त जिलों तक व्याप्त होगा।

2. कार्यालय :

भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश का कार्यालय रांची में अथवा ऐसे किसी स्थान पर होगा, जिसे समय-समय पर प्रदेश कार्य समिति निश्चित करेगा। कार्यालय के पते में परिवर्तन की सूचना झारखंड प्रदेश श्रमायुक्त को 15 दिन में दे दी जायेगी।

3. भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

(1) अन्ततोगत्वा भारतीय परम्परा का वर्गहीन समाज स्थापित करना जिसमें निम्नलिखित बातों की सुरक्षा रहेगी :-

(क) सबको रोजगार तथा अधिकतम उत्पादन के लिए जनशक्ति तथा साधनों का पूर्ण उपायोग।

(ख) मुनाफाखोरी वृत्ति के स्थान पर सेवा वृत्ति तथा व्यष्टि और समष्टि के लाभ के लिए सम्पत्ति के समान वितरणार्थ आर्थिक जनतंत्र की स्थापना।

(ग) उद्योग से सम्बंधित प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए ऐसे स्वायत्तशासी औद्योगिक समाज का विकास करना जो राष्ट्र जीवन का एक अंग बन जाए।

(2) श्रमिकों द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों की सफलतापूर्वक उपलब्धि तथा सामाजिक हितों से संगति रखते हुए श्रमिक हितों की सुरक्षा तथा समुन्नति के लिए अपना योगदान देने तथा शक्ति संचयार्थ :-

(क) श्रमिकों को ट्रेड युनियनों के रूप में संगठित होने में सहायता देना।

(ख) सम्बद्ध युनियनों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, निर्देशन, निरीक्षण तथा श्रमिकीकरण करना।

(ग) सम्बद्ध युनियनों को क्षेत्रीय समुदायों तथा औद्योगिक महासंघों के रूप में संगठित होकर संघ की इकाई के रूप में सम्बद्ध होने में सहायता देना ।

(घ) ट्रेड युनियन आंदोलन में एकता स्थापित करना ।

(3) श्रमिकों के लिए निम्नलिखित बातों की उपलब्धी तथा संरक्षण :-

(क) कार्य तथा जीवन निर्वाह का अधिकार , कार्य की सुरक्षा कर अधिकार, सामाजिक सुरक्षा ट्रेड युनियन क्रिया कलापों के अधिकारों की तथा अपनी मांगों की पूर्ति के लिए ट्रेड युनियन विधिक एवं अन्य प्रयासों के नि:शेष हो जाने पर अंतिम रूप में हड़ताल किए जाने का अधिकार ।

(ख) समाज तथा औद्योगिक क्षेत्र में कार्य तथा जीवन यापन की दशाओं में सुधार ।

(ग) न्यूनतम राष्ट्रीय आय से संगति रखते हुए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, समुचित लाभांश तथा समान हिस्सेदार के रूप में पूंजी तथा प्रबंध में समुचित अंश की प्राप्ति ।

(घ) अन्य समुचित सुविधाएं

(ङ) श्रनिकों के हित में वर्तमान श्रम कानूनों का परिपालन

(च) श्रमिक प्रतिनिधियों के परामर्श से नवीन श्रम कानूनों का निर्माण

(4) श्रमिकों के मस्तिष्क में सेवा, सहयोग तथा कर्तव्य पालन की वृत्ति उत्पन्न करना तथा उनमें सामान्यतया राष्ट्र के प्रति व विशेष उद्योग के प्रति उत्तरदायित्व की वृत्ति का निर्माण करना ।

(5) साधारणतया श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक, नागरिक और समाज दशाओं के सुधार के लिए अन्य आवश्यक पग उठना ।

(6) श्रमिकों के ज्ञान वर्धन व कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत समय समय पर शैक्षणिक कार्यक्रम (श्रमिक शिक्षा वर्ग) प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित करना तदर्थ **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा परिषद** सरकारी/ गैर सरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/अधिकरनों एवं निगमों से अनुदान प्राप्त करना जो तदर्थ पूरक तथा सहायक हों ।

4. साधन :

उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति तथा अभिवृद्धि के लिए संघ राष्ट्रीयता और जनतंत्रीय

पद्धति से युक्त समस्त वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण साधनों का उपयोग करेगा ।

5. सम्बद्धता तथा असम्बद्धता :

(क) भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश केन्द्रीय संगठन के विधान और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, प्रस्ताव तथा निर्देशन आदि पालन करने के लिए बाध्य रहेगा ।

(ख) संघ के विधान में दिए गए उद्देश्यों, साधनों तथा रीतियों के स्वीकार करने वाला श्रमिकों का कोई भी संगठन जिसके प्राथमिक सदस्यों का शुल्क पांच रूपये मासिक से कम नहीं है, भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्धता प्राप्त करने मे सक्षम होगा किन्तु कृषि, वन सामयिक उद्योगों वृक्षारोपण आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों का युनियनों के सदस्यता शुल्क के संबंध में कार्यकारिणी को चंदा से सम्बंधित इस नियम को परिवर्तित करने का अधिकार होगा ।

(ग) कार्यकारिणी द्वारा परिभाषित एक ही "स्थानीय क्षेत्र" में भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश उद्योग व्यवसाय, व्यापार करने का अनुसंशा नहीं करेगा । भारतीय मजदूर संघ से सन्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक युनियन को कम से कम 500/- या सम्पूर्ण सदस्यता का 10% शुल्क संग्रह या केन्द्र द्वारा समय समय निर्धारित या कार्यसमिति द्वारा तय की गई राशि सम्बद्धता शुल्क प्राप्ति के पश्चात केन्द्रीय कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र भारतीय मजदूर संघ झारखंड के महामंत्री की अनुसंशा सहित भेजना होगा, किन्तु समय सनय पर विशेष परिस्थितियों में सम्बद्धता शुल्क के बारे में संशोधन करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा । शहरी क्षेत्रों, स्थानीय क्षेत्रों का अर्थ नगरपालिका क्षेत्र टाउन एरिया अथवा नोटीफाईड एरिया होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्रों का अर्थ औद्योगिक इकाई, ग्राम पंचायत होगी ।

(घ) भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी को किसी भी युनियन की सम्बद्धता सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा । अस्वीकृति की दशा में प्रावधान यह है कि मामले की सुचना केन्द्रीय संघ को भेजी जाएगी और इस विषय में केन्द्र का निर्णय अंतिम होगा ।

(ङ) जिस युनियन का सम्बद्धता शुल्क, चंदा बकाया हो तो उसकी सम्बद्ध धारा 6 (घ) में निर्धारित समय से एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सूचना दिए जाने के बाद रद्द किये जाने की केन्द्र को अनुशंसा

की जा सकती है । इस खंड के अन्तर्गत जिस युनियन की सम्बद्धता रद्द की जा चुकी है, वह युनियन यदि पुन: सम्बद्धता प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र देती है तो उसे वह समस्त बकाया धन राशि (सम्बद्धता शुल्क सहायता तथा विशेष चंदे) देने पड़ेंगे जो असम्बद्ध न होने की दशा में देय थे । प्रावधान यह है कि महासमिति ऐसी युनियन द्वारा इस खंड के अन्तर्गत देय सम्बद्धता शुल्क, सहायता तथा विशेष चंदे की सम्पूर्ण तथा आंशिक बकाया धन राशि क्षमा कर सकती है ।

(च) भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध कोई भी युनियन प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से तीन महीने की लिखित सूचना देने के पश्चात अपनी सम्बद्धता वापस ले सकती है । अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी युनियन की सम्बद्धता समाप्त हो जाने की दशा में वह भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध युनियनों के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए तत्काल वंचित हो जायेगी ।

6. सम्बद्धता शुल्क, सहायता और विशेष चंदे :

(क) प्रत्येक सम्बद्ध युनियन संघ को सम्बद्धता शुल्क के रूप में प्रति सदस्य प्रति वर्ष निर्धारित सदस्यता का दशांश सम्बद्धता शुल्क या कम से कम 500 रूपये या जो अधिक हो देना होगा ।

(ख) प्रत्येक सम्बद्ध युनियन विशेष चंदे आदि मदों में एकत्रित कुल राशि का 10% धन के रूप में भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश को देय होगा । सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धन झारखंड प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की अनुमति लेकर ही एकत्रित किया जा सकेगा । युनियन किसी विशेष आवश्यकता पर प्रदेश से अनुमति लेकर विशेष चंदा कर सकती है ।

(ग) प्रदेश महासमिति किसी भी समय आवश्यकता अनुसार किसी कार्यों के लिए धन एकत्र कर सकती है ।

(घ) वार्षिक सम्बद्धता शुल्क प्रत्येक आर्थिक वर्ष के प्रारंभ में दो महीने में, सहायता निधि वर्ष की समाप्ति के पूर्व के तीन महीने में तथा विशेष चंदे प्रदेश कार्य समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत भुगतान करने होंगे ।

(ङ) इस धारा के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत सम्बद्धता शुल्क सहायता तथा विशेष चंदे के न देने की दशा में सम्बंधित युनियन को वोट देने का अधिकार तब तक स्थगित रहेगा, जबतक कि बकाया

धन राशि का भुगतान न कर दिया जाए परन्तु प्रदेश कार्य समिति विशेष परिस्थितियों में कुछ समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए इस अक्षमता को क्षमा कर सकती है ।

7. सम्बद्ध युनियनों के कर्त्तव्य :

(क) प्रत्येक सम्बद्ध युनियन :

(1) इस बात का ध्यान रखें कि उसके समस्त अभिलेख और सदस्यता के प्रपत्र सदस्यता शुल्क के अनुरूप हों ।

(2) वार्षिक सदस्यता शुल्क में युनियन की कार्यकारिणी द्वारा किसी विशेष मामले में अथवा किसी विशेष परिस्थिति में सदस्यता शुल्क देने की अवधि अथवा सदस्यता शुल्क भुगतान के विषय में विशेष छूट भी दी जा सकती है ।

(3) प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अपने हिसाब किताब, पंजियों और अन्य अभिलेखों की जांच करने की सुविधा प्रदान करेगी तथा प्रदेश कार्यकारिणी अथवा उसके पदाधिकारियों द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करेगी ।

(4) (क) प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करेगी ।

(ख) सहायता तथा विशेष चंदो आदि मदों में एकत्रित कुल धन राशि का अर्धांश केन्द्रांश के रूप में भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश को देगी

(5) अधिक से अधिक तीन मास में अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाएगी ।

(6) कार्य विवरण पुस्तिका में कार्य समिति अथवा युनियन की साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को अभिलिखित करेगी ।

(7) (क) तब तक किसी हड़ताल / सत्याग्रह की अनुमति अथवा समर्थन नहीं करेगी जब तक समझौते के समस्त मार्ग खतम न हो गए हों तथा साधारण सभा में सदस्यों का बहुमत गुप्त मतदान अथवा हाथ उठाकर ऐसी हड़ताल अथवा सत्याग्रह का समर्थन न कर देवें

(ख) यदि कोई सम्बद्ध युनियन उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो प्रदेश कार्य समिति उसके विरूद्ध समुचित कार्रवाई कर सकती है, जिसमें

अधिकारों की जब्ती अथवा निष्कासन भी सम्मिलित होगा तथा प्रदेश कार्यकारिणी ऐसे भी निर्देश दे सकती है जो भारतीय मजदूर संघ के हित में हो ।

(ग) खण्ड (ख) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने के पूर्व सम्बद्ध युनियन को उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा स्पष्टीकरण का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा ।

8. भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश की महासमिति :

(क) भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश की महासमिति में प्रति 50 प्राथमिक सदस्यों अथवा उनके अंश पर एक प्रतिनिधि होंगे । प्रदेश कार्य महासमिति भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के कार्यकलापों का संचालन करेगी तथा केन्द्रीय संघ के नियंत्रण में रहते हुए उसके प्रत्येक प्रस्तावों के अनुसार अपनी नीतियों का परिपालन करेगी ।

(ख) प्रदेश महासमिति, प्रदेश कार्यकारिणी के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी :–1–अध्यक्ष, 1 कार्यकारी अध्यक्ष (यदि आवश्यक हो), 4 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री, 4 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष (यदि आवश्यक हो) । प्रदेश महासमिति भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगी ।

(ग) प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चार महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर महामंत्री पदाधिकारियों से परामर्श कर कार्य समिति की विशेष बैठक समय से पूर्व बुला सकता है । इसी प्रकार प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक दो माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से प्रदेश महामंत्री समय से पूर्व बैठक बुला सकते हैं ।

कार्य समिति का गणपूरक एक तिहाई होगा तथा महासमिति का गणपूरक पंचमांश होगा जो छ: माह में एक बार होगी ।

(घ) महासमिति के कम से कम पंचमांश सदस्यों के लिखित मांग करने पर महामंत्री को अनिवार्यत: बैठक बुलानी पड़ेगी।

(ङ) प्रदेश महासमिति भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के आगामी अधिवेशन की विशेष विषय समिति के रूप में कार्य करेगी ।

9. प्रदेश पदाधिकारियों का दायित्व :

(1) अध्यक्ष – कार्यसमिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और बैठक में

सुव्यवस्था रखेगा तथा बैठक की समस्त कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेगा और केवल निर्णायक मत ही देगा । आवश्यकता पड़ने पर कार्यसमिति की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार होगा, संघ कार्य की देखभाल और उसे आगे बढ़ाने के लिए वह प्रदेश का दौरा करेगा ।

(2) कार्यकारी अध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करना ।

(3) उपाध्यक्ष – सामान्यतः अध्यक्ष की सहायता करेंगे और उसके अनुपस्थिति में उनमें से एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(4) महामंत्री – महामंत्री संघ के सभी कार्य करेंगे, समस्त पत्र व्यवहार करेंगे, कार्यसमिति के बैठक बुलायेंगे और संघ के कार्यालयों की देखभाल करेंगे । सरकार के साथ पत्र व्यवहार के लिए उत्तरदायी होंगे, प्रति वर्ष के वार्षिक लेखा के लिए उत्तरदायी होंगे । सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाले यूनियनों को संबद्धता प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा केन्द्र को करेंगे । कार्यालय के देखभाल एवं लिपिकिय कार्य के लिए सहायकों की नियुक्ति करेंगे । वह संघ की समस्त संगठक इकाइयों में परस्पर सहयोग व सामंजस्य लाने हेतु सभी प्रकार के कदम उठायेगा और वित्तिय स्थिति व गतिविधियों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन करेंगे । मंत्रीगण महामंत्री को उसके कार्यों में सहायता करेंगे और महामंत्री द्वारा दिये गये सभी कार्य करेंगे ।

10. प्रदेश कार्यकारिणी समिति :

(क) भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश महासमिति द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी तथा अध्यक्ष द्वारा नामजद सदस्य होंगे, इन नामजद सदस्यों की संख्या 20 से कम न होंगे । कार्य समिति में हुए प्रत्येक परिवर्तन की सूचना झारखंड प्रदेश श्रमायुक्त को दी जायेगी । प्रदेश कार्यकारिणी विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों के लिए पृथक संगठन मंत्रियों की नियुक्ति कर सकती है किन्तु प्रदेश संगठन मंत्री की नियुक्ति केन्द्रीय भारतीय मजदूर संघ करेगा । कोष कार्यकारिणी के प्रस्ताव के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा । बैंक खाता का संचालन अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष करेंगे । किन्तु अध्यक्ष या महामंत्री के साथ कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

(ख) प्रदेश कार्यकारिणी निम्नलिखित बातों के लिए निर्धारित करेगी तथा नियम बनाएगी ।

(ग) भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक जिले में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई गठित करने का प्रदेश महामंत्री को अधिकार देगी । जिला इकाई पर जिले की सम्बद्ध युनियनों में ताल मेल बैठाने व प्रान्तिय कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देशित कार्यक्रमों को सफल बनाने का दायित्व होगा । यह युनियनों द्वारा उठाए गए विवादों को सुलझाने में सहयोग तथा परामर्श देगी । यह कोई समझौता नहीं करेगी । समझौता करने का अधिकार युनियन को ही होगा । यदि जिले का कोई कोष होगा, उसके संचालन के लिए प्रदेश महामंत्री जिला इकाई के किन्हीं दो व्यक्तियों या जिला इकाई के अतिरिक्त किन्हीं दो व्यक्तियों को अधिकृत करेगी, जिनके संयुक्त हस्ताक्षर से जिला कोष का संचालन होगा ।

जिस उद्देश्य से जिला इकाई गठित की गई है-यदि उसमें वह असफल रहती है तो प्रदेश महामंत्री को जिला इकाई को भंग करने का अधिकार होगा ।

(घ) प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य दायित्व :-

(1) युनियनों की सम्बद्धता ।

(2) विधानान्तर्गत निर्वाचन ।

(3) स्वागत समिति का निर्माण, अधिकार और कर्तव्य ।

(4) रिक्त स्थानों की पूर्ति ।

(5) उद्योगों के अनुसार औद्योगिक महासंघों का निर्माण ।

(6) संचालन समिति का गठन ।

(7) भारतीय मजदूर संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य विषय ।

(ङ) कार्यकारिणी :-

(1) भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश और उससे सम्बद्ध युनियनों के सामान्य प्रशासन का समय-समय पर विचार करेगा ।

(2) ऐसे समस्त निर्णय तथा कार्य करेगी जो संघ के लिए उपयोगी तथा आवश्यक होंगे ।

(3) सम्बद्ध संगठनों के समस्त मतभेदों तथा विवादों की जांच तथा निपटारा करेगी । यदि किसी विवाद का निपटारा नहीं होता है तो

केन्द्र भारतीय मजदूर संघ का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी अपना विवाद न्यायालय में नहीं ले जा सकेगा।

(4) औद्योगिक महासंघों तथा प्रदेश की समस्त युनियनों का नियमन आदि पर विचार करेगी।

(5) प्रदेश महासमिति की बैठक के लिए समय, स्थान तथा कार्यक्रम निश्चित करेगी।

(6) अध्यक्ष और महामंत्री प्रदेश महासमिति के प्रस्तावों निर्णयों और निर्देशों कार्यकारिणी की सहमति से कार्यान्वित करेंगे। अध्यक्ष अथवा महामंत्री को सम्बद्ध युनियनों के औद्योगिक विवादों में प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यकारिणी के सदस्यों के नियुक्त करने का अधिकार होगा। भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के पत्र व्यवहार का दायित्व महामंत्री पर होगा।

(7) प्रदेश कार्यकारिणी किसी व्यक्ति अथवा युनियन को भारतीय मजदूर संघ के हितों अथवा अनुशासन के विरूद्ध कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है अथवा निलम्बित या भंग कर सकती है।

11. अधिवेशन :

भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के त्रीवार्षिक अधिवेशन तीसरे वर्ष के अन्त में हो सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश कार्यकारिणी अधिवेशन तिथि व समय में परिवर्तन कर सकती है।

(12) विशेष अवस्था में प्रदेश कार्यकारिणी को विधान की किसी धारा में संशोधन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार होगा, और वह तब तक लागू रहेगा जब तक कि प्रदेश महासमिति उसे स्वीकार कर लेती है तो वह परिवर्तन संशोधित विधान का अंग बन जायेगा।

(13) विधान में परिवर्तन, संशोधन अथवा परिवर्धन धारा (11) मे निर्धारित विधि के अनुसार अथवा प्रदेश महासमिति की बैठक में उपस्थित तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत से किया जा सकता है।

इति